

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 281]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 30 सितम्बर 2024—आश्विन 8, शक 1946

जेल विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2024

क्र.-एफ- 06-02-2022-तीन-जेल.—मध्यप्रदेश सुधारात्मक सेवाएं एवं बंदीगृह अधिनियम, 2024 (क्रमांक 13, सन् 2024) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा 13 अगस्त, 2024 को पूर्व प्रकाशित अधिसूचना जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुई थी, को अधिक्रमित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, दिनांक 1 जनवरी, 2025 को उस दिनांक के रूप में नियत करती है, जिसको कि उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा.

No.-F-06-02-2022-III-Jail.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Madhya Pradesh Sudharatmak Sevayen Evam Bandigrah Adhinyam, 2024 (No. 13 of 2024) and in supersession of the previous Notification published in the Madhya Pradesh Gazette (Ex-ordinary) on 13th August, 2024, the State Government, hereby, appoints the 1st January, 2025, as the date on which the said Act shall come into force.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमल नागर, उपसचिव.